अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 779(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, (2000 का 21) की धारा 54 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साइबर विनियमन अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के कदाचार या असमर्थतता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त साइबर अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके है ।

3. **शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति**.– (1) यदि केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के संबंध में उनके पद के कृत्यों के पालन में कदाचार या असमर्थतता का कोई निश्चित आरोप अभिकथित करने वाली कोई लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है तो वह उस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।

(2) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, केंद्रीय सरकार अभिकथन के बारे में अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उक्त शिकायत को ऐसी अन्य सामग्री सहित, जो उपलब्ध हो, उस समिति के समक्ष, शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए रखेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(i) सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय, - अध्यक्ष ;

(ii) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार – सदस्य ;

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य

(3) समिति अन्वेषण की अपनी प्रक्रिया और पद्धति स्वयं बनाएगी, जिसमें नियम 4 के अधीन शिकायतकर्ता का साक्ष्य अभिलिखित करना और ऐसी सामग्री संग्रह करना, जो जांच के संचालन से सुसंगत हो, सम्मिलित हो सकेगा ।

(4) समिति ऐसी अवधि के भीतर, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपने निष्कर्ष, यथासंभवशीघ्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी ।

4. **न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना**.– (1) यदि राष्ट्रपति की, नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यह राय है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के कदाचार या असमर्थतता के किसी अभ्यारोपण की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करते हुए एक निर्देश भेजेगी ।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है) जांच करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को दी जाएगी ।

(4) राष्ट्रपति निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेगी—

(क) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध आरोपों की मदें और अभ्यारोपणों का कथन ,

(ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो ; और

(ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।

(5) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगा ।

(6) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे समय के भीतर जो इस निमित्त न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(7) जहां यह अभिकथित किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थतता के कारण दक्षतापूर्वक अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और अभिकथन से इन्कार किया जाता है, वहां न्यायाधीश, ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा, जो इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की चिकित्सीय परीक्षा के लिए व्यवस्था कर सकेगा और, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ऐसे समय के भीतर, जो इस निमित्त न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(8) चिकित्सा बोर्ड, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा, जो आवश्यक समझी जाए और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट उसमें यह कथित करते हुए कि क्या असमर्थतता ऐसी है जो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को पद पर बने रहने में अयोग्य बनाती है, देगा ।

(9) यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ऐसी चिकित्सीय परीक्षा कराने से इन्कार करता है, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए, तो बोर्ड न्यायाधीश को एक रिपोर्ट, उसमें उस परीक्षा को कथित करते हुए जिसे कराने से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ने इन्कार किया हो, देगा और न्यायाधीश, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यह उपधारणा कर सकेगा कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त है, जो उपनियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आरोपों की मद में अभिकथित की गई है ।

(10) न्यायाधीश, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के लिखित कथन और चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उपनियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आरोपों की मद का संशोधन कर सकेगा और ऐसे मामले में, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को प्रतिरक्षा का नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(11) केंद्रीय सरकार उस सरकार के किसी अधिकारी या किसी अधिवक्ता को न्यायाधीश के समक्ष, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करेगी ।

(12) जहां केंद्रीय सरकार ने किसी अधिवक्ता को न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया है, वहां, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को भी उसके द्वारा चयन किए गए किसी अधिवक्ता द्वारा अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

5. इन नियमों के अधीन जांच करने के लिए विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश करना) अधिनियम, 1972 का लागू होना— विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश करना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांच को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे विभागीय जांचों को लागू होता है ।

6. न्यायाधीश की शक्तियां— न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत जांच के स्थान और समय नियत करना भी है, विनियमित करने की शक्ति होगी ।

7. अध्यक्ष या सदस्य का निलंबन.— राष्ट्रपति, नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार की जा रही किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के, यथास्थिति उस अध्यक्ष या सदस्य को, जिसके विरुद्ध शिकायत अन्वेषण या जांच के अधीन है, निलंबित कर सकेगी ।

8. निर्वाह भत्ता.— निलंबनाधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को निर्वाह भत्ते का संदाय भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

9. जांच रिपोर्ट.— अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात्, न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आरोपों की प्रत्येक मद के संबंध में उसके निष्कर्षों और उनके लिए कारणों का, संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेक्षणों सहित, जो वह ठीक समझे, कथन होगा ।

[सं. 9(16)/2004-ई.सी.]
एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

G.S.R. 779(E).— In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub section (2) of section 87, read with subsection (3) of section 54 of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), and in supersession of the Cyber Regulations Appellate Tribunal (Procedure for Investigation of misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby makes the following rules, namely —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Cyber Appellate Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Chairperson and Members) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Information Technology Act 2000 (21 of 2000);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Cyber Appellate Tribunal appointed under section 49 of the Act;

(b) "Committee" means a Committee constituted under sub–rule (2) of rule 3;

(c) "Member" means the Member of the Cyber Appellate Tribunal appointed under section 49 of the Act;

(d) "Tribunal" means the Cyber Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 48 of the Act.

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints.— (1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehaviour or incapacity to perform the functions of the offices in respect of the Chairperson or the Member, as the case maybe, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with other material as may be available, before a Committee consisting of the following officers to investigate the charges of allegations made in the complaint, namely :-

3055GI/09-2

(i) the Secretary (Co-ordination and Public Grievances) in the Cabinet Secretariat, Government of India - Chairman;

(ii) the Secretary, Department of Information Technology, Government of India – Member;

(iii) the Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India – Member.

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation, which may include recording of evidence of the complainant and collection of material under rule 4, which may be relevant to the conduct of inquiry.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.— (1) If, the President, on receipt of the report of the Committee under sub-rule (4) of rule 3, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of the Chairperson or the Member, as the case maybe, then, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as the Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of the Judge under sub-rule (2) shall be given to the Chairperson or the Member, as the case may be.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of—

(a) the articles of charges against the Chairperson or the Member, as the case maybe, and the statement of imputations;

(b) the statement of witnesses, if any, and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge appointed under sub-rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Chairperson or the Member, as the case maybe, shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Chairperson or the Member, as the case maybe, is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Chairperson or the Member, as the case may be, by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Chairperson or the Member, as the case may be, shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Chairperson or the Member, as the case may be, as may be considered necessary to and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Chairperson or the Member, as the case maybe, unfit to continue in office.

(9) If the Chairperson or the Member, as the case maybe, refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Chairperson or the Member, as the case maybe, has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Chairperson or the Member, as the case may be, suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the article of charges referred to clause (a) of sub-rule (4).

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Chairperson or the Member, as the case maybe, and report of the Medical Board, if any, amend the article of charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such case, the Chairperson or the Member, as the case maybe, shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or an advocate to present the case against the Chairperson or the Member, as the case may be before the Judge.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Chairperson or the Member, as the case maybe, shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

5. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules.— The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

6. Powers of Judge.— The Judge shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

7. Suspension of Chairperson or Member.— Notwithstanding anything contained in rule 4, and without any prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President, keeping in view the gravity of charges may suspend the Chairperson or the Member, as the case may be, of the Tribunal against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. Subsistence allowance.— The payment of subsistence allowance to a Chairperson or the Member, as the case may be, under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

9. Inquiry Report.— After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons therefor on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

[No. 9(16)/2004-EC]
N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 780(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, (2000 का 21) की धारा 69 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात, :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का अंतरोपन, मानीटर और विगूढन करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**— इन नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है ;

(ख) "संचार" से सूचना या संकेत का किसी रीति से प्रसारण, पारेषण, ग्रहण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संचार और अप्रत्यक्ष संचार दोनों भी हैं ;

(ग) "संचार लिंक" से कंप्यूटर साधन का अंतः संयोजन करने के लिए सेटेलाइट, माइक्रोवेव, रेडियो, टेरेस्ट्रियल लाइन, तार, केबल या किसी अन्य सूचना माध्यम का उपयोग अभिप्रेत है ;